न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 13/2025

1. सरबती देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढ़ान तहसील व जिला फतेहबाद।

—अपीलान्ट

बनाम

1. लादुराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढ़ान तहसील व जिला फतेहबाद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता अपीलांट।

श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—01

निर्णय दिनांकः— 28/5/2025

अपीलांट सरबती देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढ़ान तहसील व जिला फतेहबाद द्वारा तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 2257 स्वीकृत दिनांक 22.12.2016 को खारिज करवाने बाबत अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलकृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खसरा नं. 440 की 12.4690 है0 भूमि में से अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज थी, जो कि अपने भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सब रजिस्ट्रार नोहर से अपने सम्पूर्ण हिस्से का दिनांक 29.07.2016 को दस्तबरदारी करवाई थी, जिसका नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 दर्ज व मंजूर हुआ, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार काश्तकार बना, जो कि निरस्त योग्य है।
3. अपील के वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने एक वाद बाबत दस्तबरदारी दिनांक 29.07.2016 को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय अपर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायाधीश संख्या 1 नोहर जिला हनुमागनढ़ में एक वाद संख्या CIS No. 7/2025 पेश किया जो कि बाद सुनवाई व बाद सहमति वाद स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 29.07.2016 को अवैध व शुन्य घोषित किया गया एवं वाद वादिया डिक्री किया गया इसलिए नामान्तरण संख्या 2257 इसी दस्तावेज की रूह से मंजूर किया गया है, जो कि काबिले खारिज है।

4. मातहत अदालत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 अगर कायम रहता है तो श्रीमान् न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 के निर्णय दिनांक 25.02.2025 की पालना नहीं हो पायेगी। इसलिए नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 निरस्त योग्य है।

5. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार की निर्धारित कोर्ट फीस पर ज्ञान से अन्दर मियाद पेश है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर रोही मौज़ा बड़बिराना तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 2257 स्वीकृत दिनाक 22.12.2016 को खारीज फरमाया जावे एवं नामान्तरण 2257 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाने के आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री चन्द्रशेखर एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर इकबाल जवाब अपील पेश किया गया। जिसमें अपील में वर्णित तथ्यों को पूर्णतया स्वीकार किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रोही मौज़ा बडबिराना तहसील नोहर के खसरा नं0 440 की 12.4690 है0 भूमि में से अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज थी, जो कि अपने भाई रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को सब रजिस्ट्रार नोहर से अपने सम्पूर्ण हिस्से की दिनांक 29.07.2016 को दस्तबरदारी करवाई थी, जिसका नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 दर्ज व मंजूर हुआ, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या–1 खातेदार काश्तकार हुआ। दिनांक 29.07.2016 को की गई को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 नोहर जिला हनुमानगढ़ में एक वाद संख्या CIS No. 7/2025 पेश किया, जो कि बाद सुनवाई व बाद सहमति वाद स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को दस्तबरदारी दिनांक 29.07.2016 को अवैध व शुन्य घोषित किया गया एवं वाद वादिया डिक्री किया गया इसलिए दस्तबरदारी दिनांक 29.07.2016 के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 2257 दर्ज एंव स्वीकृत किया है, अगर कायम रहता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है, तो माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 के निर्णय दिनांक 25.02.2025 की पालना नहीं हो पायेगी। इसलिए नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपील बहस में कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या को कोई एतराज नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 द्वारा राजीनामा के आधार पर उप पंजीयक कार्यालय नोहर में पंजीकृत दस्तबरदारी दिनांक 29.07.2016 अवैध व शुन्य घोषित किया गया। दिनांक 29.07.2016 को पंजीकृत दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 स्वीकृत किया गया है। जब माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1 द्वारा दस्तबरदारी को अवैध व शुन्य घोषित कर दिया है तो नामान्तरण संख्या 2257 को कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2257 दिनांक 22.12.2016 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28/5/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

28/5/25

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.07.22 18:24:24 IST
Reason: SelfAttested